Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 29-08-2005

Participants : Munshiram Shri

>

Title : Need to protect the interests of sugarcane farmers in Uttar Pradesh.

श्री मुंशी राम (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, 25 अगस्त, 2005 को समाचार पत्रों में छपी यह खबर कि नयी चीनी मिलें जो स्थापित की जा रही हैं, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त, गन्ना का आबंटन नहीं करेंगे जिससे देश के चीनी उत्पादन में प्र थम स्थान रखने वाला पश्चिम उत्तर प्रदेश के लाखों किसान जो गन्ने का उत्पादन करते हैं, उनके लिये भारी संकट उत्पन्न हो गया है। किसान तभी खुशहाल रह सकता है, जब उसके उत्पादन का मूल्य, उत्पादन में आने वाली लागत से अधिक हो। आज तक गन्ना उत्पादन करने वाला किसान चन्द मिल मालिकों एवं इससे संबंधित उद्योगपतियों के हाथों में खेलता रहा है। वह अपनी मनमर्जी का मूल्य गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को देते थे। भारत सरकार द्वारा वर्ा 1998 में एक आदेश जारी कर चीनी उद्योगों को लाइसेंस नीति से मुक्त किया गया परन्तु उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा भारत सरकार के इस आदेश को निरस्त करते हुये यह आदेश जारी किया गया कि आई.डी.आर. एक्ट के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही चीनी मिलें स्थापित हो सकती हैं। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह भी आदेश जारी किया गया कि वर्ा 1998 में डी-लाइसेंस शुगर पालिसी इंडस्ट्रियल रेगुलेशन अधिनियम की धारा 29-बी के विपरीत है। इससे उत्तर प्रदेश में होने वाले 5 हजार करोड़ रुपये के निवेश को भारी झटका लगा है। इस वित्त वर्ा में 16 संभावित चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन के लिये लगाई जा रही हैं। इस क्षेत्र के किसानों को उनके द्वारा किया जाने वाला गन्ना उत्पादन का सही मूल्य मिल सकता था। इससे किसान इस आदेश के बाद वंचित रह जायेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश द्वारा यह आदेश जन एवं किसान विरोधी है, जिसमें सब से बड़ी गलती उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त की है, जिन्होंने न्यायलय को विस्तार एवं सही जानकारी किसानों के हित में नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये इस आदेश के विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार,उच्च न्यायालय को सही विवरण देकर उ परोक्त आदेश को निरस्त करायें अथवा कानून बनाकर किसानों का हित सुरक्षित करें तथा यह भी कि उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त के द्वारा चन्द मिल मालिकों के हित में चुप रहकर तथा किसान हित में न्यायालय में पैरवी न करने के लिये स्पटीकरण मांगे। एक माह बाद चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पिराई प्रारम्भ की जानी है। किसान हित में अतिशीघ्र न्यायालय एवं सरकार द्वारा आदेश जारी कराया जाये जिससे पश्चिम उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन करने वाला किसान सुरक्षित रहेगा।

MR. SPEAKER: Thank you very much. Please let us be specific in the future while raising the matters of urgent importance, and we can dispose of many more matters.

Shri Braja Kishore Tripathy. Hon. Member, you know the sensitivity of the matter. As a senior and experienced Member you will keep that in mind while raising it in the House.